कार्यालय जिला पंजीयक,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

प्रस्तावना–:

जिला पंजीयक कार्यालय छिन्दवाड़ा में सात रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वर्तमान में है जिसमें से छह विभागीय उप पंजीयक पदस्थ है एवं एक पदेन उप पंजीयक के रूप में तहसीलदार पदस्थ है समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों से संबंधित मकानों, प्लाटों,कृषि भूमि से संबंधित विलेखों का रजिस्ट्रीकरण होता है, एवं जिला पंजीयक कार्यालय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 31,47''क'',धारा 47''क''(3), एवं धारा 33 से संबंधित प्रकरणों एवं आर.आर.सी.प्रकरणों में वसूली तथा मुद्रांक वापसी (छः माह तक की अवधि) वाले प्रकरणों का निराकरण किया जाता है साथ ही अधिनस्थ उप पंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है ।

उप पंजीयक कार्यालय में अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन के लिये सामान्य जानकारी (ग्रामीण एवं नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के लिये)

1. निष्पादक द्वारा निष्पादित विलेख दो प्रतियों में केन्द्रीय मूल्याकंन वोर्ड म.प्र. भोपाल द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन अनुसार एवं स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची–1 एवं 1''क'' के अनुच्छेदों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पत्र पर एवं द्वितीय प्रति कार्बन कापी वाली मजबूत पेपर में ।

2. विलेख में वर्तमान का पासपोर्ट साइज के पक्षकारों (क्रेता–विक्रेताओं) के फोटोग्राफ मजबूती के साथ चस्पा हो एवं स्वयं पक्षकारों के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान द्वारा प्रमाणित हो ।

3. सम्पत्ति का नक्शा ।
4. शपथ पत्र (महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्ररूपों में)
5. भू–अधिकार ऋण पुस्तिका ।
6. कम्प्यूटराईज्ड खसरा पांच साला की प्रमाणित प्रति वर्तमान में ।
7. सम्पत्ति का तीन कोणों से खींचा गया 5''×3'' का छायाचित्र । जिसे निष्पादक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान द्वारा प्रमाणित किया जावेगा ।

8. **अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क**

   विक्रय पत्र,दान,बंधक,30 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टों पर प्रभार्य होगा ।
   1. नगरपालिका क्षेत्र में 1 प्रतिशत बाजार मूल्य का ।
   2. जनपद शुल्क 1 प्रतिशत बाजार मूल्य का
   3. उपकर रिक्त भूखण्ड, भूमि पर स्टाम्प शुल्क का 5 प्रतिशत ।

9. क्रेता महिला है तो केवल हस्तातंरण पत्र में 2 प्रतिशत कीह छूट स्टाम्प ड्यूटी में है ।

शपथपत्र का प्रारूप

मैं/हम सत्यनिष्ठा पूर्वक कथन करते है कि –

1. इस दस्तावेज में मेरे/हमारे द्वारा सम्पत्ति का, जो विवरण अभिलिखित किया गया है,वह दिनांक ———————— की स्थिति में पूर्णतः सत्य तथा सही है ।
2. दस्तावेज के साथ इस सम्पत्ति के जो फोटोग्राफ संलग्न कर उप पंजीयक कार्यालय ——————— में प्रस्तुत किए गए है वह सम्पत्ति की पूर्णतः सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते है तथा उक्त फोटोग्राफ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप है ।
3. सम्पत्ति के दस्तावेज में उल्लिखित विवरण में यदि कोई विसंगति पायी जाती है,तो उसके लिये मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी रहूॅंगा/रहूॅंगी/रहेगें ।

शपथग्रहिता

प्रारूप

हलफनामा

मैं--------------पिता-----------------निवासी-------------------

जाति---------उम्र------सत्यनिष्ठापूर्वक कथन करता हूॅ कि–

1. मेरे द्वारा विक्रय की जा रही ग्राम---------- पटवारी हल्का क्रमांक---------- से संबंधित भूमि शासकीय भूमि या शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है ।

2. उपर्युक्त विक्रीत भूमि में विगत पांच वर्षो में लगाई गई फसलों की स्थिति इस प्रकार है –

वर्ष	खसरा नम्बर	रकवा				ली गई फसल/फसलें एव उनका रकवा		
		कृषि भूमि	व्यापवर्तित	पडत	कुल	खरीफ	रबी	अन्य

3. विगत पांच वर्षो में सिंचित/असिंचित रकबे की स्थिति निम्नानुसार है–

वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)				कुल भूमि
		सिंचित			असिचित	
		शासकीय स्त्रोत	निजी स्त्रोत			
			स्वयं का	अन्य व्यक्ति का		

4. निजी स्त्रोत में स्वयं के सिंचाई साधन होने की स्थिति निम्नानुसार है–

सिंचाई का स्त्रोत	संख्या	सिंचित भूमि का क्षेत्रफल
कुंआ		
ट्यूबवेल		
अन्य		

उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं राजस्व अभिलेख के अनुसार है । किसी भी जानकारी के असत्य पाए जाने की स्थिति के लिये मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूॅगा ।

दिनांक **शपथगृहीता**

(source : District Registrar, Chhindwara)

***** Last update 19/10/2006 *****